रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2001/कार्तिक 14, 1923
No. 295] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2001/KARTIKA 14, 1923

CENTRAL

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2001

क्रमांक एफ. 12-3/91-सी.सी.एच. (भाग) (अ).—केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 33 के खंड (झ), (ञ) व (ट) और धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) विनियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम डी. (होम्यो.) संशोधन विनियम, 2001 है।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) विनियम, 1989 (इसके पश्चात् उक्त विनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा), के विनियम 2 में,—

(i) खंड "ख" के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "पाठ्यक्रम", विनियम 3 के उप-विनियम (3) में उल्लिखित विषयों में अध्ययन का पाठ्यक्रम अभिप्रेत है,

(ii) खंड ग में "विनियम 3 के उप-विनियम (1)" अक्षर, कोष्ठक और शब्दों को "इन विनियमों" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ङक) "होम्योपैथी में स्नातकोत्तर" से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता अभिप्रेत है।

(iv) खंड (झ) में "विभिन्न पाठ्यक्रमों के" शब्दों का लोप होगा,

(v) खंड (ञ) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(ञ) "अध्यापन अनुभव" से किसी होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव अभिप्रेत है और इसमें भारतीय चिकित्सीय परिषद् से मान्यताप्राप्त किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में औषध, शल्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विषयों में प्राप्त अध्यापन अनुभव शामिल है।

3. उक्त विनियमों के विनियम 3 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर के लिए विशेषज्ञता के विषय :—

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम की विशेषज्ञताएं उन विषयों में होंगी जिनका उल्लेख उप-विनियम (3) के खंड (ख) में किया गया है।

(2) पाठ्यक्रम तीन वर्ष की अवधि का होगा, जिसमें एक वर्ष की गृह-शिक्षुता सम्मिलित होगी, जिसके दौरान अभ्यर्थी महाविद्यालय परिसर का निवासी रहेगा तथा विनियम 10 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अनुसार उसे प्रशिक्षित किया जाएगा।

(3) पाठ्यक्रम में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) सामान्य विषय—

(i) स्वस्थ मनुष्य (समग्रतावादी अवधारणा),

(ii) रोगी मनुष्य (समग्रतावादी अवधारणा),

(iii) आयुर्विज्ञान का इतिहास, वैज्ञानिक प्रणाली विज्ञान, जिसमें अनुसंधान प्रणाली विज्ञान तथा सांख्यिकी शामिल हैं, तथा

(ख) विशेषज्ञता के विषय—

(i) होम्योपैथिक दर्शन सहित ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन,

(ii) होम्योपैथी मेटीरिया मेडिका, अनुप्रयुक्त स्वरूप सहित,

(iii) रेपार्टरी,

(iv) होम्योपैथिक भेषजी (फार्मेसी),

(v) आयुर्विज्ञान अभ्यास,

(vi) बाल चिकित्सा, तथा

(vii) मनोविकार चिकित्सा।

एम.डी (होम्यो.) के अभ्यर्थी को अपनी विशेषज्ञता का विषय प्रवेश के समय चुनना होगा तथा डिग्री उसी विषय की विशेषज्ञता में प्रदान की जाएगी।"

4. उक्त विनियमों के विनियम 4 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) किसी भी अभ्यर्थी को एम.डी. (होम्यो.) पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी डिग्री :—

(i) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी अथवा होम्योपैथी में समकक्ष अर्हता, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो जो एक वर्ष का अनिवार्य गृह-शिक्षुता सहित कम से कम पांच वर्ष और छः माह की अवधि का, पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् प्रदान की गई हो।

(ii) बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (ग्रेडिड डिग्री) अथवा समकक्ष अर्हता, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो जो कम से कम दो वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् प्रदत्त की गई हो।

(2) विश्वविद्यालय अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी, जैसा भी हो, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु योग्यता क्रम के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। उन अभ्यर्थियों को एक सीट प्रति विषय, योग्यता क्रम के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने दो वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य किया हो।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 5 के लिए, निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) उक्त स्नातकोत्तर डिग्री (एम.डी. होम्यो.) के लिए पाठ्य विवरण :—

एम. डी. (होम्यो.) पाठ्यक्रम, सामान्य तथा विशेषज्ञता के विषयों के लिए निम्न पाठ्य विवरण हो, अर्थात् :—

(क) सामान्य विषय :—

(i) स्वस्थ मनुष्य (समग्रतावादी संकल्पना)—

मनुष्य का संरचनात्मक, कार्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक संगठन तथा स्वास्थ्य में उसका पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, तथा शरीर संरचना विज्ञान, शरीरक्रिया विज्ञान, जैव-रसायन, जैवभौतिकी मनोविज्ञान का एकीकृत अध्ययन तथा नैदानिक औषध में उक्त जानकारी का प्रयोगात्मक इस्तेमाल।

(ii) रोगी मनुष्य (समग्रतावादी संकल्पना)—

रोगी का संरचनात्मक, कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक संगठन तथा उसकी अपने पर्यावरण की ग्राह्यता में कमी तथा इसमें विकृति विज्ञान (स्वास्थ्य की स्थिति से अंतर मनोवैज्ञानिक, कार्यात्मक और संरचनात्मक अंतर का अध्ययन) कारण और प्रभाव के संबंध (अर्थात् बाह्य प्रभाव) (सूक्ष्म जीव, परजीवी, वायरस और अन्य उद्दीपक) तथा आंतरिक (मियाजमस पर आधारित प्रवृत्ति) कारकों और उनकी विद्यमान व्याख्या तथा रोगी में व्याप्त असामान्य व्यवहार को ध्यान में रखते हुए रोग के विकासमूलक तथ्य की जांच शामिल है।

(iii) आयुर्विज्ञान का इतिहास, अनुसंधान कार्यप्रणाली जैव-सांख्यिकी सहित वैज्ञानिक कार्य प्रणाली

(क) आयुर्विज्ञान का इतिहास-आयुर्विज्ञान में हैनिमेन के योगदान को विशेष महत्व देते हुए विकास।

(ख) अनुसंधान कार्यप्रणाली तथा जैव-सांख्यिकी सहित तर्क की आधारभूत संकल्पना, दर्शन और वैज्ञानिक कार्यप्रणाली।

(ख) विशेषज्ञता के विषय :—

I. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी दर्शन सहित-आयुर्विज्ञान ज्ञान साधन :

(i) होम्योपैथी की हैनिमेन की संकल्पना (सिद्धांत तथा अभ्यास)

विषय के आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक गुण दोष विवेचन के लिए इसका गहन ज्ञान आवश्यक है।

(ii) होम्योपैथी दर्शन—

व्याख्याओं का अध्ययन तथा होम्योपैथी के प्रसिद्ध समर्थकों जैसे कि केन्ट, स्टुअर्ट क्लोज, एच.ए. रोबर्ट, जे. एच. एलन, डनहम तथा रिचर्ड ह्वाग्ज के, हैनिमेन संकल्पना तथा होम्योपैथी के आधारभूत सिद्धांतों पर व्याख्या और विचार का अध्ययन आवश्यक है। इसका उद्देश्य विभिन्न दर्शनों के साथ हैनिमेन की संकल्पना/अवधारणा का तुलनात्मक अध्ययन कर गुणवत्ता के आधार पर व्यक्तिगत योगदान को सामने लाना भी है।

(iii) आयुर्विज्ञान में होम्योपैथी चिकित्सा अभ्यास।

(iv) शल्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान में होम्योपैथी चिकित्सा अभ्यास।

II. अनुप्रयुक्तता सहित होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका :

(i) आधारभूत मेटीरिया मेडिका

(1) मेटीरिया मेडिका का स्रोत, औषधि प्रमाणन तथा लक्षणों का संग्रह—लक्षणों का वर्गीकरण मेटीरिया मेडिका की रचना, मेटीरिया मेडिका के प्रकार,

(2) मेटीरिया मेडिका विज्ञान और दर्शन,

(3) मेटीरिया मेडिका का अध्ययन,

(4) मेटीरिया मेडिका का क्षेत्र व सीमा,

(5) औषधि स्रोत, परिवारिक अथवा वर्गजन्य प्रकृति तथा औषधि संबंध।

(ii) तुलनात्मक मेटीरिया मेडिका,

सभी औषधियों के लक्षणों, औषधि चित्रों तथा चिकित्सीय सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन;

(iii) आयुर्विज्ञान में होम्योपैथी चिकित्सा अभ्यास,

(iv) शल्य प्रसूति एवं स्त्री रोग में होम्योपैथी चिकित्सा अभ्यास।

III. रेपर्टरी :

(i) केस/रोगी विवरण

(क) गतिशीलता एवं प्रणालियां

(ख) केस/रोगी का विश्लेषण

(ग) पूर्ववृत्त

(घ) लक्षणों का मूल्यांकन।

(ii) रेपर्टरी तथा रेपर्टरीकरण :—

(क) रेपर्टरी के स्रोत एवं उद्गम,

(ख) रेपर्टरी के विभिन्न प्रकार,

(ग) गुण व अवगुण,

(घ) रेपर्टरीकरण की विधियां।

IV. होम्योपैथिक भेषजी (फार्मेसी) :

(i) होम्योपैथिक औषधियों के स्रोत, पहचान, संग्रह, पोटेन्टाइजेशन, संरक्षण, औषधि का नुसखा, वितरण।

(ii) विश्लेषणात्मक विधि तथा तकनीक द्वारा औषधि मानकीकरण और तरलीकरण, जैविक, यांत्रिक, रसायनिक, विष वैज्ञानिक गुण तथा विशिष्टता, औषधि अध्ययन की प्रयोगशाला प्रणालियां, औषधियों के आयुर्विज्ञानी एवं गैर-आयुर्विज्ञान प्रयोग।

(iii) होम्योपैथिक औषधि प्रमाणन, प्रभाव का क्षेत्र और संबद्धता।

(iv) पोटेन्सी, औषध-यांत्रिकी, प्रभाव की अवधि।

(v) प्रायोगिक भेषजगुण विज्ञान।

(vi) होम्योपैथी भेषजी से संबंधित औषधि विधि एवं विधान :—

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23), स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46), औषधि (नियंत्रण) अधिनियम, 1950 (1950 का 26), औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 (1954 का 21), औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16), विष अधिनियम, 1919 (1919 का 12), होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) और भेषज अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की मूलभूत जानकारी तथा विषयों पर उपर्युक्त केंद्रीय अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों तथा राज्यों के संबंधित अधिनियमों, नियमों और विनियमों की सामान्य जानकारी।

(vii) औद्योगिक भेषजी।

V. चिकित्सा अभ्यास :

(i) ट्रोपिकल औषध-सहित सामान्य औषध ;

(ii) औषधियों का मियाजमेटिक अध्ययन ;

(iii) आधुनिकतम तकनीक की दृष्टि से नैदानिक प्रक्रियाएं ;

(iv) ट्रापिकल औषध सहित सामान्य चिकित्सा में होम्योपैथी अभ्यास।

VI. बाल चिकित्सा :

(i) पोषण, व्यावहारिक दोष, बाल चिकित्सा के निवारक पक्ष सहित शिशु रोग,

(ii) मियाजमेटिक अध्ययन,

(iii) नैदानिक प्रक्रियाएं,

(iv) बाल चिकित्सा में होम्योपैथी का अभ्यास

VII. मनोविकार चिकित्सा :

(क) अनुप्रयुक्त मनोविकार चिकित्सा

(ख) मियाजमेटिक मूल्यांकन

(ग) मनोविकार चिकित्सा में होम्योपैथी का अभ्यास

नोट:—निम्नलिखित विषयों के लिए, होम्योपैथी के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न विषयों में प्रगति तथा ज्ञेय विषय की गहरी समझ का पूरा बोध होना चाहिए, अर्थात् :—

1. रोगी विवरण दर्ज करने में गतिशीलता तथा प्रविधियां,
2. विभिन्न शारीरिक, नैदानिक तथा प्रायोगिक निष्कर्षों सहित निदान तथा विभेदक निदान,
3. हैनिमैन के विकासवादी संपूर्णता के सिद्धांत पर मामलों का विश्लेषण एवं संश्लेषण;
4. रेपर्टरीकरण सहित औषधियों का चयन तथा मेटीरिया मेडिका का तुलानात्मक अध्ययन,
5. पोटेन्सी तथा मात्रा का चयन,
6. द्वितीय दवा देने की प्रक्रिया,
7. उपचार प्रतिक्रिया तथा पूर्वानुमान
8. सामान्य, चिकित्सीय तथा समनुषंगिक उपचार से रोगियों का प्रबंधन जिसमें सभी विधाओं को एकीकृत करते हुए अध्ययन की रोगी अभिमुख विधि अपनाई जानी चाहिए।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 6 में, उपविनियम (1) तथा (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) परीक्षाएं दो भागों में आयोजित की जाएंगी, अर्थात्:—

(क) एम.डी. (होम्यो.) भाग-I, जो कि एक वर्ष की अवधि की गृह शिक्षुता (हाउस जॉब) के पूरा होने के, छह माह के पश्चात् होगी।

(ख) एम.डी.(होम्यो)भाग-II, जो कि भाग-I की परीक्षा के एक वर्ष और छह माह के पश्चात् होगी।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को, जो परीक्षा के भाग-I में प्रवेश लेने का इच्छुक हो, को निम्न दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करना होगा, अर्थात् :—

(क) संस्थान के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष से उन विषयों में पाठ्यक्रम के अध्ययन के पूरा करने का प्रमाण पत्र, जिस परीक्षा में अभ्यर्थी प्रवेश चाहता हो, तथा

(ख) किसी एक होम्योपैथिक अस्पताल में एक वर्ष की गृह शिक्षुता पूरा करने का प्रमाण पत्र।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 7 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. भाग-I एम.डी. (होम्यो.) परीक्षा :—

(क) भाग-I एम.डी. (होम्यो.) परीक्षा सामान्य विषयों में आयोजित होगी तथा इसमें :—

(i) सामान्य विषयों में प्रत्येक पर कम से कम तीन घण्टे की अवधि का एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होगा :

(ii) सामान्य विषयों में प्रत्येक पर कम से कम तीन परीक्षकों, जिनमें से एक सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) होगा द्वारा इकट्ठे मौखिक/प्रयोगात्मक परीक्षा ली जाएगी।

(ख) तीनों परीक्षक संयुक्त रूप मे अभ्यर्थी के ज्ञान को परख कर उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण के रूप में नतीजे की संस्तुति विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

8. उक्त विनियमों में, विनियम 8 में,—

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(i) (क) प्रत्येक अभ्यर्थी भाग II परीक्षा होने से कम से कम छह माह पूर्व विषय के (प्राप्त) ज्ञान को उन्नत करते हुए अपने स्वयं के अनुसंधान और योगदान स्वरूप शोध निबंध की चार मुद्रित अथवा टंकित प्रतियां तैयार कर अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ख) शोध निबंध को विश्वविद्यालय में जमा करने के निर्धारित समय से, कम से कम तीन माह पूर्व मार्गदर्शक/सुरपरवाइजर को देना होगा तथा मार्गदर्शक/सुपरवाइजर, प्रमाणित करेगा कि यह कार्य पहले किसी स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा हेतु नहीं किया गया तथा यह कार्य अभ्यर्थी द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से किया गया है तथा इसे मार्गदर्शक/सुपरवाईजर प्रतिहस्ताक्षरित कर विश्वविद्यालय को सौंप देगा।

(ग) परीक्षा लेने के लिए नियुक्त परीक्षक शोध निबंध की जांच करेंगे तथा संयुक्त रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की रिपोर्ट या सुझाव, जैसा वे उचित समझें, देंगे।

(घ) अभ्यर्थी को परीक्षकों द्वारा शोध निबंध की स्वीकृति के तीन माह पश्चात् भाग-II परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते कि अभ्यर्थी को जिसका शोध निबंध स्वीकार नहीं किया गया है, छह माह के अंदर परंतु एक वर्ष से पूर्व उसे पुन: देने की मंजूरी दी जाएगी।"

(ii) उप-विनियम (3) के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) भाग-II एम.डी. (होम्यो.) की परीक्षाएं, प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विशेषज्ञता के विषय में ली जाएंगी तथा इसके लिए शामिल होंगे :—

(क) दो लिखित सिद्धांत प्रश्न पत्र, प्रत्येक तीन घंटे से कम की अवधि का नहीं होगा।

(ख) अभ्यर्थी की विशेषज्ञता के अभ्यास में कुशलता तथा उसकी योग्यता व कार्यसाधक ज्ञान की जाँच के लिए विशेषज्ञता के विषय में एक प्रायोगिक/नैदानिक परीक्षा, मौखिक सहित; के लिए एक सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) सहित इकट्ठे तीन परीक्षक होंगे।

लेकिन तीनों परीक्षक विश्वविद्यालय को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की अपनी संस्तुति देने के लिए अभ्यर्थी की योग्यता संयुक्त रूप से जांचेंगे।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 9 के लिए, निम्न को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9. स्नातकोत्तर अध्यापन केंद्र के लिए अपेक्षाएं :

(1) केन्द्रीय परिषद् द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् ही किसी होम्योपैथिक कॉलेज या संस्थान या अस्पताल को होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) ऐसे प्रत्येक कॉलेज, सस्थान या अस्पताल में संबंधित विशेषज्ञता का एक विभाग होगा तथा निम्न अतिरिक्त सुविधाएं होंगी :—

(i) विशेषज्ञता के विभाग में एक पूर्णकालिक प्रोफेसर,

(ii) एक रीडर/सहायक प्रोफेसर,

(iii) स्टाफ जैसे कि परिचर, तकनीशियन इत्यादि जो विभाग के लिए आवश्यक हो,

(iv) विभागीय पुस्तकालय,

(v) अलग नैदानिक प्रयोगशाला एवं सभी सुविधाओं सहित, बहिरंग रोगी विभाग तथा आंतरिक रोगी विभाग,

(vi) विशेषज्ञता के प्रत्येक विषय के लिए प्रति छात्र तीन शैय्या उद्दिष्ट होंगे। ये शैय्याएं स्नातकपूर्व छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए निर्दिष्ट शैय्याओं की क्षमता के अतिरिक्त होंगी।

(3) (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के इच्छुक होम्योपैथी कॉलेज, संस्थान या अस्पताल, जिसमें स्नातकपूर्व शिक्षण की कोई सुविधा नहीं है, के पास कम से कम 25 शैय्या का अस्पताल और नैमि जांच के लिए संलग्न लेबोरेटरी हो।

(ख) यह विनियम 5 में उद्धरित सामान्य विषयों को पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा या एक प्रमाण पत्र देगा कि उनका केंद्रीय परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त नज़दीक के स्नातकपूर्व होम्योपैथिक कॉलेज के साथ समझौता ज्ञापन दस्तावेज है ;

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने हेतु आवेदन देते समय ही, उन्हें राज्य सरकार का अनापत्ति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से अनंतिम संबद्धता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त विनियमों में, विनियम 10 में, उप-विनियम (1) में शब्दों "अथवा इसके समकक्ष" का लोप होगा।

11. उक्त विनियमों के विनियम 11 में अंत में, निम्नलिखित परंतुक को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"लेकिन जो अभ्यर्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है बिना आगे पाठ्यक्रम के अध्ययन किए अगली परीक्षा दे सकता है।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 12 में निम्न के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) छात्र मार्गदर्शक अनुपात:—छात्र-सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) का अनुपात 3:1 [तीन छात्र तथा एक सुपरवाइजर (मार्गदर्शक)] होगा :

परंतु जहां सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) के लिए अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों को किसी विशेषज्ञता के किसी क्षेत्र में मार्गदर्शक करना संभव न हो, वहां पर एक अतिरिक्त सह-सुपरवाइजर/सह-मार्गदर्शक दिया जाएगा।"

(2) (क) सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) के लिए शैक्षिक अहर्ता तथा अनुभव—सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) बनने के लिए एक व्यक्ति को निम्न अर्हता एवं अनुभवधारी होना होगा, अर्थात् :—

(i) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल एम.डी. (होम्यो.); तथा

(ii) सहायक प्रोफेसर के रूप में संबंधित विषय में कम से कम सात वर्षों का अध्यापन अनुभव, या सरकारी संगठन में 10 वर्ष तक नैदानिक कार्य का अनुभव :

परंतु होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) संशोधन विनियम 2001 के लागू होने की तारीख के पांच वर्षों तक, यदि उपर्युक्त मद (i) तथा (ii) में निर्धारित अर्हता और अनुभव धारक सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) उपलब्ध न हों, तो कम से कम चार वर्ष की अवधि की मान्यताप्राप्त डिग्री/डिप्लोमा और बीस वर्ष के वृत्तिक अनुभव (होम्योपैथिक कॉलेज में संबंधित विषय में दस वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित) वाले प्रोफेसर संवर्ग के अध्यापन कर्मचारी को नियुक्त किया जा सकता है।

परंतु विशेषज्ञता विषय का सुपरवाइजर केवल उसकी विशेषज्ञता विषय का सुपरवाइजर रहेगा।

(ख) सह-सुपरवाइजर (सह-मार्गदर्शक) की नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव:—

"विशेषज्ञता विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और खंड (क) में उल्लेखित अनुभव या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कॉलेज में सह-प्रोफेसर के पद पर सात वर्ष का अध्यापन अनुभव।"

13. उक्त विनियमों के विनियम 13 में:—

(क) उप-विनियम (1) में, शब्द "मार्गदर्शक" के लिए, शब्द तथा कोष्ठक "सुपरवाइजर (मार्गदर्शक) या सह-सुपरवाइजर (सह मार्गदर्शक) जैसी स्थिति हो" प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

(ख) उप-विनियम (2) में, शब्द "दो वर्ष" के लिए शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ग) उप-विनियम (3) में, शब्द "मार्गदर्शक" के लिए, शब्द "सुपरवाइजर/मार्गदर्शक या सह-सुपरवाइजर-सह-मार्गदर्शक जैसा स्थिति हो", प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त विनियमों के भाग-VI के लिए, निम्न भाग को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

भाग-VI

बाह्य अभ्यर्थियों के लिए विशेष उपबंध

इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम्यो.) (संशोधन) विनियम, 2001 के प्रारंभ के आठ वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय बाह्य अभ्यर्थियों को केवल तीन विषयों, अर्थात् मेटिरिया मेडिका, होम्योपैथिक दर्शक और रेपर्टरी के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में बैठने के लिए प्रवेश की अनुमति दे सकता है, अर्थात् :—

I. परीक्षा में प्रवेश

(1) जिस अभ्यर्थी ने कम से कम चार वर्ष की अवधि के होम्योपैथी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वह बाह्य अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा, यदि वह अभ्यर्थी—

(क) कम से कम सहायक प्रोफेसर का पूर्णकालिक नियमित पद धारण करता हो, या

(ख) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में कम से कम सात वर्ष का अध्यापन अनुभव हो, या

(ग) दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो।

(2) अभ्यर्थी को अंतिम परीक्षा से दो वर्ष पूर्व अपना नाम पंजीकृत कराना होगा।

(3) अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा के आयोजन से नौ माह पूर्व अपना शोध निबंध तैयार कर सुपरवाइजर/मार्गदर्शक को देगा। सुपरवाइजर मार्गदर्शक अंतिम परीक्षा के आयोजन से छः माह पूर्व उसका अनुमोदन करेगा।

II. परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र:—

परीक्षा में निम्न प्रश्न-पत्र होंगे, अर्थात्:—

(क) मेटीरिया मेडिका (मेटीरिया मेडिका प्यूरा तथा अप्लाइड)

(ख) होम्योपैथी चिकित्सा-अभ्यास (प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग विज्ञान सहित)

(ग) ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन एवं दर्शन

(घ) रेपर्टरी

III. परीक्षक :

परीक्षकों के चयन के लिए मानदंड विनियम 13 के अनुसार होगा।

डा. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[सं. विज्ञापन III/IVअसाधारण/147/2001]

नोट:—मूल विनियम भारत के राजपत्र भाग-III, खंड 4 में 16-11-1989 को प्रकाशित किए गए तथा तत्पश्चात् संशोधन राजपत्र के उक्त खंड में 22-02-1993 को प्रकाशित हुए।

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2001

No. F. 12-3/91-CCH(Pt) (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D (Hom.) Regulations, 1989, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, -

(i) for clause (b), the following shall be substituted, namely: -

'(b) "course" means a course of study in the subjects referred to in sub-regulation (3) of regulation 3.';

(ii) in clause (c), for the words, brackets and letters "sub-regulation (1) of regulation 3", the words "these regulations" shall be substituted;

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

'(ea) "Post Graduation in Homoeopathy" means a Post Graduate qualification in Homoeopathy recognised as per the provisions of the Act,.;

(iv) in clause (i), the words " different courses of" shall be omitted;

(v) for clause (j), the following shall be substituted, namely:-

'(j) "teaching experience" means teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College and includes teaching experience in the subjects of Medicine, Surgery, Obstetrics and Gynecology gained in a Medical College, recognised by the Medical Council of India.'

3. For regulation 3 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"3. Subjects of specialisation for Post Graduation in Homoeopathy —

(1) The Specialties of Post Graduate Degree Course in Homoeopathy shall be in the subjects as mentioned in clause (b) of sub-regulation (3).

(2.) The course shall be of three years' duration, including one year of house-job, during which the candidate shall be a resident in the campus and shall be given training as per the provisions of sub-regulation (2) of regulation 10.

(3) The course shall comprise of the following, namely : —

(a) General subjects

(i) The Man in Health (Holistic concept);

(ii) The Man in Disease (Holistic concept); and

(iii) History of Medicine, Scientific Methodology, including Research Methodology and Statistics, and

(b) Special subjects

(i) Organon of Medicine with Homoeopathic Philosophy;

(ii) Homoeopathic Materia Medica including applied aspects;

(iii) Repertory;

(iv) Homoeopathic Pharmacy;

(v) Practice of Medicine;

(vi) Paediatrics; and

(vii) Psychiatry.

A candidate for M.D. (Hom.) shall opt one of the special subjects as his specialty at the time of admission and the degree shall be awarded in that specialty"

4. For regulation 4 of the said regulations, the following shall be substituted, namely: —

"4. (1) No candidate shall be admitted to M.D. (Hom.) course unless he possesses the degree of —

(i) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery or equivalent qualification in Homoeopathy included in the Second Schedule to the Act, after undergoing a course of study of not less than five years and six months duration including one year compulsory internship; or

(ii) Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery (Graded Degree) or equivalent qualification in Homoeopathy included in the Second Schedule to the Act, after undergoing a course of study of not less than two years' duration.

(2) The University or the authority appointed by the Central Government or the State Government, as the case may be, shall select candidates on merit for Post Graduate Course. Preference shall be given to candidates who have worked in rural areas for two years in respect of one seat in each subject as per merit".

5. For regulation 5 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:

"5. Syllabus for Post Graduate Degree (M.D.Hom.).— The following shall be the syllabus for general and special subjects in M.D.(Hom.) course, namely:—

344 GI/2002-2

A. GENERAL SUBJECTS:

(i) **The man in Health (Holistic Concept)** — Structural, functional and psychological organisation of Man and his adaptation to the environment, in health, and includes an integrated study of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Biophysics, Psychology for practical application of the knowledge in clinical medicine.

(ii) **The man in Disease (Holistic Concept)** — Structural, Functional and Psychological Organisation of the Sick and his deficient adaptation to his environment and includes the study of Pathology (Psychological, functional and structural deviations from the state of Health), a probe into the evolutionary phenomenon of disease, paying attention to the cause effect relationship (viz., the effects of extrinsic (micro organisms, parasites, viruses and other stimuli) and intrinsic (susceptibility based on miasams) factors along with their current interpretations and the abnormal expressions of the sick pervading his whole being);

(iii) History of Medicine, Scientific Methodology including Research Methodology and Statistics—

(a) History of Medicine—evolution with special emphasis on Hahnemann's contribution to Medicine in General.

(b) Basic concepts of Logic, Philosophy and Scientific Methodology including Research Methodology and Bio-Statistics.

B. SPECIAL SUBJECTS:

1. ORGANON OF MEDICINE WITH HOMOEOPATHIC PHILOSOPHY:

(i) Hahnemannian concepts of Homoeopathy (Principles and Practice)

A deep understanding of the subject is essential for making a critical and analytical appreciation and evaluation of it. This attempt has to be made by resources and reference to all relevant writings of Hahnemann on the subject.

(ii) Homoeopathic Philosophy

A study of the interpretations and views of the stalwarts in Homoeopathy like Kent, Stuart Close, H.A. Robert, J.H. Allen, Dunham and Richard Hughes on Hahnemannian concepts and fundamentals of Homoeopathy is essential. It also aims at making a comparative study of various philosophies with a view to bring out relative merit of the individual contribution to the Hahnemannian concepts of Homoeopathy.

(iii) Practice of Homoeopathy in Medicine

(iv) Practice of Homoeopathy in Surgery, Obstetrics and Gynecology.

II. HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA INCLUDING APPLIED ASPECTS:

(i) Basic Materia Medica

(1) Source of Materia Medica, Drug proving, and collection of symptoms—classification of symptoms, construction of Materia Medica, types of Materia Medica.

(2) Science and Philosophy of Materia Medica.

(3) Study of Materia Medica

(4) Scope and limitations of Materia Medica.

(5) Sources of Drugs, family or group characteristics and drug relationship.

(ii) Comparative Materia Medica;

Comparative study of symptoms, drug pictures and therapeutic indications of all drugs,

(iii) Practice of Homoeopathy in Medicine;

(iv) Practice of Homoeopathy in Surgery, Obstetrics and Gynaecology

III. REPERTORY:

(i) Case taking: —

(a) Dynamics and methods.

(b) Case analysis.

(c) Anamnesis.

(d) Evaluation of symptoms.

(ii) Repertories and Repertorisation —

(a) Source and origin of the Repertory;

(b) Different types of Repertories;

(c) Merits and demerits;

(d) Methods of Repertorisation.

IV. HOMOEOPATHIC PHARMACY:

(i) Source, identification, collection, preparation, potentisation, preservation, prescription, dispensing of Homoeopathic Drugs;

(ii) Standardization of drugs and vehicles through analytical methods and techniques. Biological, mechanical, chemical, toxicological properties and characteristics. Laboratory methods of drug study. Medical and non-medical uses of drugs;

(iii) Homoeopathic Drug proving, spheres of action and affinities;

(iv) Potency, posology, duration of action;

(v) Experimental Pharmacology;

(vi) Drug Laws and legislation relating to Homoeopathic Pharmacy:—

A basic idea about the Drugs and Cosmetic Act, 1940(23 of 1940); The Prevention of illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988, (46 of 1988); The Drugs (Control) Act, 1950, (26 of 1950); The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954(21 of 1954); The Medicinal and Toilet Preparation (Excise Duties) Act, 1955(16 of 1955); The Poisons Act, 1919(12 of 1919); The Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973); and The Pharmacy Act, 1948, (8 of 1948);

A general idea about the rules and regulations made under the aforesaid Central Acts on the subject and concerned State Acts, rules and regulations;

(vii) Industrial Pharmacy.

V. PRACTICE OF MEDICINE:

(i) General Medicine including Tropical Medicine;

(ii) Miasmatic Study of Medicine,

(iii) Diagnostic procedures in view of latest technology;

(iv) Practice of Homoeopathy in General Medicine including Tropical Medicine.

VI. PAEDIATRICS:

(i) Diseases of children including nutritional, behavioural disorders, Preventive aspects of Pediatrics;

(ii) Miasmatic study;

(iii) Diagnostic procedures;

(iv) Practice of Homoeopathy in Pediatrics.

VII. PSYCHIATRY:

(i) Applied Psychiatry;

(ii) Miasmatic evaluation,

(iii) Practice of Homoeopathy in Psychiatry.

NOTE: A thorough knowledge of deeper understanding in the recent advances made and discernible in the subjects, keeping in view the tenets of Homoeopathy, shall be required in the following topics, namely: -

1. Dynamics and methods of case taking.
2. Diagnosis and differential diagnosis of diseases with various physical, clinical and leboratory findings
3. Analysis and synthesis of cases with Hahnemannian evolutional totality
4. Selection of medicine including repertorisation and comparative study of Materia Medica.
5. Selection of Potency and dose.
6. Second prescription.
7. Remedy response and prognosis.
8. Management of the cases in general, therapeutic and accessory treatment in which case oriented method of study shall be adopted by integrating all disciplines.

6. In the said regulations, in regulation 6, for sub regulations (1) and (2), the following shall be substituted, namely: —

"(1) The examination shall be conducted in two parts, namely: —

(a) M.D. (Hom.) Part I, which to be held six months after completion of house job of one year's duration;

(b) M.D. (Hom) Part II, which to be held after one year and six months after Part I examination.

(2) Every candidate seeking admission to Part I of the examination shall submit application to the University with the following documents, namely:—

(a) a certificate from the Principal or Head of the institution about the completion of the course of studies in the subjects in which the candidate seeks admission to the examination; and

(b) a certificate of having completed one year house job in a Homoeopathic hospital." .

7. For regulation 7 of the said regulations, the following shall be substituted, namely: —

"7. Part-1 M.D. (Hom.) examination,—

(a) Part I M.D.(Hom.) examination shall be held in general subjects and it shall consist of,—

(i) one theory paper in each of general subjects of not less than three hours' duration;

(ii) Viva-Voce/Practical examination in each general subject, to be held by not less than three examiners together out of which one shall be the Supervisor (Guide);

(b) The three examiners shall Jointly assess the knowledge of the-candidate for recommending the result to the University as passed or failed."

8. In the said regulations, in regulation 8 —

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely: —

"(1) (a) Every candidate shall prepare and submit four printed or typed copies of dissertation embodying his own research and contribution in advancing the knowledge in the subject to the University for approval not later than six months prior to the holding of Part II examination.

(b) The dissertation shall be submitted to the Guide/Supervisor at least three months before the time fixed for submitting it to the University, and the Guide/Supervisor shall certify that the work has not previously formed the basis for award of any post graduate degree or diploma and that the work is the record of the candidate's personal efforts and submitted to the University duly countersigned by the Guide/ Supervisor.

(c) The examiners appointed to conduct the examinations shall scrutinize the dissertation and Jointly report whether the dissertation be accepted or rejected or may make suggestions, as they deem fit.

(d) The candidate shall be allowed to appear for the Part II examination three months after the examiner accepts the dissertation.

Provided that the candidate, whose dissertation has not been accepted, may be permitted to resubmit the same within a period of six months and not more than one year after rejection".

(ii) for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely: —

"(3) Part II M.D. (Hom.) examination shall be held in the subject of speciality opted by the candidate at the time of admission, and shall consist of —

(i) two written theory papers, each of not less than three hours duration,

(ii) one practical/clinical examination, including Viva-Voce, in the subject of speciality, to test the candidate's acumen and his ability and working knowledge in the practice of the speciality and there shall be three examiners together, including one Supervisor (Guide) in the subject, for examining the candidate.

Provided that all the three examiners shall jointly assess the knowledge of the candidate for recommending the result to the University as passed or failed."

9. For regulation 9 of the said regulations, the following shall be substituted, namely: —

"9. Requirements for Post Graduate Teaching centre—

(1) The Central Council may after evaluation permit a Homoeopathic College or Institute or Hospital to start Post Graduate courses in Homoeopathy.

(2) Every such college, institute or hospital shall have a department of the concerned speciality and shall also have the following additional facilities, namely: —

(i) one full time Professor in the department of speciality.

(ii) one Reader/ Assistant Professor.

(iii) staff such as Attendants, Technicians, etc. as deemed necessary depending upon the department.

(iv) departmental library.

(v) out-patient department and in-patient department with all facilities including separate clinical laboratory.

(vi) three beds shall be earmarked per student for each clinical subject of speciality.

(3)(a) A Homoeopathic college, institute or hospital desirous to start a Post Graduate course in Homoeopathy, having no under graduate teaching facility, shall have a minimum of 25 bed hospital with attached laboratory for routine investigative procedure.

(b) It shall also have facility to teach general subjects as stated in regulation 5 or submit a certificate that they have a Memorandum of Understanding with a nearby undergraduate Homoeopathic college recognised by the Central Council.,

(c) While submitting applications for permission to start such Post Graduate Course, they shall also submit a no objection certificate from the State Government and provisional affiliation from concerned University."

10. In the said regulations, in regulation 10, in the sub-regulation (1), the words "or equivalent thereof" shall be omitted.

11. In regulation 11 of the said regulations, the following proviso shall be added at the end, namely : -

"Provided that a candidate who fails in the examination may appear again in the next examination without undergoing further course of study".

12. For regulation 12 of the said regulations, the following shall be substituted, namely: -

12(1) Student Guide ratio:-

The student-Supervisor (Guide) Ratio shall be 3:1 [three students and one Supervisor(Guide)]:

Provided that where it is not feasible for a Supervisor (Guide) to supervise the candidate or candidates in any area of the speciality, there shall be one additional Co- Supervisor/Co-Guide."

2 (a) Educational qualifications and experience for Supervisor (Guide). -

A person shall possess the following qualification and experience for being eligible to be a Supervisor (Guide), namely: -

(i) M.D. (Hom.) included in the Second Schedule to the Act; and

(ii) Teaching experience of not less than seven years as an Assistant Professor in the subject concerned or clinical experience of ten years in a Government organisation:

Provided that up to a period of five years from the date of commencement of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations 2001. If Supervisors (Guides) with qualification and experience as laid down in items (i) and (ii) above are not available then teaching staff of Professor cadre holding a recognized Degree/ Diploma qualification in Homoeopathy of not less than four years duration with twenty years' professional experience (including ten years' teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College) may be appointed.

Provided that the Supervisor of a speciality shall remain the Supervisor for that speciality only.

(b) Educational qualifications and experience for selection of Co-Supervisor (Co-Guide):

Post Graduate Degree qualification in the special subject with experience as stated in clause (a) or seven years teaching experience as Associate Professor in a college recognized by the Medical Council of India.".

13. in regulation 13 of the said regulations,-

(a) in sub-regulation (1), for the word "Guide", the words and brackets "Supervisor (Guide) or Co-Supervisor (Co-Guide), as the case may be" shall be substituted;

(b) in sub-regulation (2), for the words "two years", the words "five years" shall be substituted;

(c) in sub-regulation (3), for the words as "guide", the words "Supervisor/Guide or Co-Supervisor/Co-Guide, as the case may be" shall be substituted;

14. For Part VI of the said regulations, the following Part shall be substituted, namely:-

"PART VI

SPECIAL PROVISION FOR EXTERNAL CANDIDATES

14. Notwithstanding anything contained in these regulations, the University may allow admission of external candidates to appear in the Post Graduate examination for a period of eight years from the commencement of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) (Amendment) Regulations, 2001, for three subjects, namely, Materia Medica, Homoeopathic Philosophy, and Repertory only subject to the fulfilment of the following conditions, namely:-

1. Admission to the examination:

(1) A candidate who has passed the final examination of a diploma course in Homoeopathy of not less than four years duration shall be eligible for admission to the examination as an external candidate, if such candidate —

(a) holds full time regular post not below the rank of Assistant Professor, or

(b) has teaching experience of not less than seven years in a recognised Homoeopathic Medical college, or

(c) has ten years of professional experience.

(2) the candidate shall register his name two years before the final examination.

(3) The candidate shall prepare and submit to his Supervisor/Guide a dissertation nine months prior to the holding of the final examination. The Supervisor/Guide shall approve the same six months prior to the holding of the final examination

II. Papers for examination :

The examination shall comprise of the following papers, namely :-

(a) Materia Medica - (Materia Medica Pura and Applied).

(b) Homoeopathic Practice of Medicine (including Gynaecology and obstetrics)

(c) Organon of Medicine and Philosophy

(d) Repertory

III. Examiners:

The criteria for selection of examiners shall be as given in regulation 13."

DR. LALIT VERMA, Registrar-cum-Secy.

[No. ADVT-III/IV/Extra/147/2001]

Note.— Principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 on 16-11-1989 and subsequent amendment were published in the said section of the Gazette on 22-02-1993.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.